(वाद सं0.-215/19)

21.01.2020

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, आकाश, के पास से तथाकथित चोरी की कार की बरामदगी से सम्बंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओ–413/414/420 के अन्तर्गत संस्थित पिपरा थाना कांड सं0 288/18, दिनांक 07.12.2018 में, पिपरा थाना के तत्कालीन स0अ0नि0 अवधेश यादव द्वारा परिवादी को अनावश्यक रूप से फंसाने तथा बाद में तथाकथित चोरी की कार की बरामदगी से संबंधित तथ्य को असत्य पाकर मात्र भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत, अनावश्यक रूप से परिवादी के विरूद्ध उस स्थिति मे आरोप समर्पित किये जाने से सम्बंधित है जबकि, परिवादी से जब्त किये गये तथाकथित चोरी के कार को उसके पंजीकृत स्वामी, सुरेश जोशी, से क्रय किये जाने तथा उक्त कार के नामान्तरण की कार्रवाई के प्रक्रियाधीन रहने का परिवादी द्वारा दावा किया जा रहा था।

पुलिस अधीक्षक, सुपौल के प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा प्रसंगाधीन मामले में जब्त कार को चोरी का कार नहीं पाया गया तथा मात्र सन्देह के आधार पर एक व्यक्ति (परिवादी आकाश) को हिरासत मे ले लिया गया।

आयोग पुलिस के इस कृत्य की भर्त्सना करता है।

पुलिस अधीक्षक, सुपौल से यह अपेक्षा करता है कि वह इस संबंध में जांचोपरान्त दोषी पुलिस पदाधिकारी के विरूद्ध, नियमानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करे तथा भविष्य मे बिना किसी ठोस आधार, के किसी भी व्यक्ति को, अनावश्यक रूप से पुलिस अभिरक्षा में ना लेने के संबंध मे अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करें।

कार्यालय, आज पारित आदेश की एक प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, सुपोल को भेजते हुए तद्नुसार परिवादी को सूचित किया जाय।

उपरोक्त के आलोक मे आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

ह0/–
(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक